न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम देहरादून

दिनांक 24.02.2024

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली मोटर वाहन अधिनियम से सम्बन्धित है। अभियुक्त के विरूद्ध जारी प्रोसेस तामिल व बिना तामिल न्यायालय प्राप्त नहीं हुए। मामला लघुवाद पर आधारित है। माननीय उच्च न्यायाल द्वारा अपने सर्कुलर नं 8x(f)-1-misc/DR/(I)2013 dated july 2, 2013 में यह कहा गया है कि मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत तुच्छ प्रकृति के ऐसे वाद जिन्हें अभियुक्त का पता अपूर्ण है अथवा वह बहुत दूर स्थान पर निवास करता है और न्यायालय का यह मत है कि मामले में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चत नहीं की जा सकती है तथा वाद कम जुर्माने से दण्डनीय है और उपरोक्त मामले में अभियुक्त से वसूली जाने वाली धनराशि से अधिक राज्य सरकार की धनराशि अभियुक्त के विरूद्ध जारी आदेशिकाओं में खर्च हो चुकी है, तो ऐसे वादों को नियमानुसार दाखिल दफ्तर किया जा सकता है। मासिक बैठक में माननीय जिला जज महोदय द्वारा दो साल से पुराने चालानों को यथाशीघ्र निस्तारित किये जाने हेतु आदेश किये गये हैं तथा उक्त का उल्लेख Minutes of monthly meeting में भी किया गया है। न्यायालय के मत में अभियुक्त के निकट भविष्य में न्यायालय में उपस्थित होने की संभावना नहीं है। अतः दंड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 258 के अन्तर्गत मामले में कार्यवाही स्थगित की जाती है। अभियुक्त को उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली अभिलेखागार भेजी जाये।

(उर्वशी रावत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम
देहरादून।